

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2017/1023

दिनांक : 17/02/17

आदेश

मण्डल की वृत्त कोटा के अधीन विभिन्न योजनाओं के उपलब्ध आवासों का निस्तारण अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय के प्रस्ताव अनुसार नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण किये जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	श्रेणी	आवास संख्या	कुल योग
1.	महावीर नगर तृतीय (रेन्टल)	MIG-A	4-J-12	1
2.	दादा बाड़ी विस्तार (रेन्टल)	MIG-A	4-S-6	1
3.	दादा बाड़ी (रेन्टल)	MIG-A	1-KHA-25	1
4.	विज्ञान नगर (रेन्टल)	MIG-A	3-PA-17, 3-DHA-23	2
5.	अन्ता जिला बारां	EWS	1/42,50,52,53,60,82,85,86,87,96,104	11
		LIG	1/34, ,85.87, 224	4
		MIG-A	2/19,96	2
		MIG-B	1/10,11,12,13	4
		HIG	1/01,02,03,04,06,07,08	7
			कुल योग	33

अतः उक्त आवासों को निम्न शर्तों पर नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जावे।

1. आवासीय योजना में आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवासों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस बंधन को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवासों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हो।

P.T.O

5. आवासों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेशो को माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महोदय का अनुमादेन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर/जोधपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त-कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड.-कोटा/बारां राजस्थान आवासन मण्डल कोटा/बारां।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सम्बन्धित वृत्त/खण्ड कार्यालय को ई-मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी,/नागरीक सेवा केन्द्र, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबंधक (मु.)